

भारत ने राज्यों के गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया पर चर्चा करें विशेष रूप से इसमें राजिल संवैधानिक प्रावणानों और विद्याभीड़ों को रेखांकित करते हुए भारत के इतिहास की उम्मा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ करे जिसमें संघवाद की आजाद देने वे भाषाई व भातीय भारतीय भूमिया पर ह्यान केंद्रित किए गए हैं।

विश्लेषण करें कि क्या भारत ने इन कारणों पर भी देने से राष्ट्रीय रूपकला अनिवार्य हुई है या कीर्तीयता की बढ़ावा दिला है। (३४ अप्रृ०८५)

भारतीय संविधान के भाग - १ के अनुच्छेद १ - ४ तक राज्यों के गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया का वर्णन है। जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद - २ भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में परिभाषित करता है जो भारत की राजनीतिक पहचान व ऐतिहासिक समृद्धि के प्रदर्शित करता है।

राज्यों के गठन और पुनर्गठन की प्रक्रिया

राज्यों के गठन से सम्बन्धित अनुच्छेद व प्रावणान

- ① → राज्यों का संघ
- ② → नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना
- ③ → राजपी का गठन व सीमांडी में बदलाव
- ④ → २ और ३ में बदलाव में संवैधानिक संशोधन

की आवश्यकता नहीं।

(1)

अनुच्छेद - 1 राज्यों का संघ

भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है अर्थात् राज्यों की संघ से असर होने का अधिकार नहीं है गद्यपि संघ राज्यों के अंखें लग जी गंदरी नहीं देता।

(2)

अनुच्छेद - 2 नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना

इसके अन्तर्गत भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश जी संघ का हिस्सा नहीं है का प्राप्तान किया जाया है।

(उदाहरण) सिविलियन व जोवा

(3)

राज्यों का गठन व सीमाओं में बदलाव अनुच्छेद

- 3

भारतीय राज्यों के सीमा, नाम आदि के परिवर्तन संसद द्वारा बिना राज्यों की सहमति से साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है।

(उदाहरण) आंध्रप्रदेश से असर उर तेलंगाना का गठन (2014)

④

अनुच्छेद - 4 राज्यों के गठन से सम्बन्धित संवेदनानि७ प्रक्रिया

- अनुच्छेद 2 में वर्णित नए राज्यों का प्रवेश हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता
- अनुच्छेद 3 के संसद द्वारा किया जाने परिवर्तन हेतु संवेदनानि७ संशोधन की आवश्यकता नहीं।

संवेदनानि७ के वैधानिक उद्दभी वे भारत के समुक्त राज्य अमेरिका की तुलना

भारत	समुक्त राज्य अमेरिका
① विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ	① अविनाशी राज्य का संघ
② राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्य का प्रभावी आवश्यक प्रबन्ध सहमति आवश्यक नहीं	② सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्य की सहमति आवश्यक
③ नए राज्यों का प्रवेश हेतु राज्यों के सहमति की आवश्यकता	③ राज्यों की सहमति की आवश्यकता

नहीं।

(उदाहरण) सिपिएल व जोवा

④ विद्योग लाने हेतु

शाहूपति की सहभागि
आवश्यक

① कॉम्प्रेस के राज्यों

की सहभागि के पश्चात
कॉम्प्रेस में प्रस्तुत

⑤ सीमा आ श्रीत्रीय सीमा
से सम्बद्धित विवादी अ
न्यायालय की शक्ति सीमित
संसदीय समीच्छा

② व्यापारप का हस्तक्षेप

⑥ सीमाओं के परिवर्तन
हेतु भाषाओं, सांस्कृतिक
व प्रशासनीय सुविधाओं
आधार पर।

③ सीमाओं के परिवर्तन

हेतु औरोतिक सुविधाएं
पर केंद्रीय, भाषाएं
व सांस्कृतिक नहीं

(उदाहरण) गुजरात व अदाकर्ष

का गुजराती व अराडी के
आधार पर

भाषाओं भाषाएं पर-आंश्चिक प्रदेश
प्रशासनीय आधार - कर्तीसग्रह

भारत में भाषाओं, सांस्कृतिक व प्रशासनीय
कारबों पर जोर देने की राष्ट्रीय एकता
मजबूत है ?

①

संहारी संघवाद की विवाद

के-द्र - राज्य सम्बन्ध अजूत

②

कोत्रीप विभिन्नताओं के बीच सम्बन्ध

उदा०

विविधता के स्वतंत्रता की विवाद

गुजराती व अराडी समुहों के बीच
सम्बन्ध

③

विकेन्द्रीकृत प्रशासन

के प्रशासनिक दलों के बढ़ोत्तरी

उदा०

2000 से शुरू उप्र० क उत्तराखण्ड के
एक साप प्रशासन चलाना चाहिए।

④

अवसर्वचनात्मक सुधार

उत्तराखण्ड क विषय के अलग होने के
उत्तराखण्ड के बनने की की प्राप्तिकरा प्राप्त
जिससे अवसर्वचनात्मक प्राप्तिकरा के बाहर से
विचरण संभव।

कोत्रीपता की विवाद कौसे ?

①

राज्यों के अन्कर राज्यों की वांग

उदा०

भद्रराष्ट्र में विद्यमानी की वांग

② अपने राजनीतिक पहचान की ओर
उदाहरण लोडोसेंट, बाजा आदि

③ राजनीतिक अवसरपाद
उदाहरण राजनीतिक वली हरा लोक-
पुमान वादे।

राष्ट्रीय संकलन व श्रीत्रीय आंशुकालीन
समन्वय हेतु सुझाव

① सहकारी संघवाद की विवाद
उदाहरण जीति आपोग, अन्तर्राष्ट्रीय परिषद
व श्रीत्रीय परिषद की राज्यों की सहभागिता
की प्रोत्साहन

② संसाधन के साझा करने हेतु विवाद समाधान
तंत्र का गठन

③ तकनीकी सङ्गमता विभिन्नता

④ सांस्कृतिक विभिन्नता में समन्वय

इस प्रकार राष्ट्रीय संकलन व अंखेंडल को
सुनिश्चित करने, सहकारी संघवाद की प्रोत्साहन
करने ('एक देश एक पहचान') को सुनिश्चित
करने हेतु केन्द्र-राज्य समन्वय की प्रोत्साहन करने
की आवश्यकता है।